Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

सं.सी-06/2011-एमपीलैड्स

Dated 18.05.2011

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त नगर निगम, दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त सभी जिले ।

विषयः **एमपीलैड्स निधि से स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद के बारे में स्पष्टीकरण - एमपीलैड्स निधि से जारी की जाने वाली धनराशि पर मौद्रिक सीमा लगाना ।**

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय के दिनांक 24-11-2010 के पत्र सं.सी/16/2009- एमपीलैड्स के क्रम में जिसके अंतर्गत केन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्कूलों/कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एमपीलैड्स निधि से पुस्तकों की खरीद की अनुमति दी गई है । विभिन्न हितधारकों से कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जो उस राशि की मौद्रिक सीमा के संबंध में है जिसे उपर्युक्त संस्थानों में पुस्तकों की खरीद हेतु एक सांसद अपनी एमपीलैड्स निधि से स्वीकृत कर सकता है ।

2. मंत्रालय द्वारा इस मामले की जांच की गई और उस राशि की मौद्रिक सीमा तय करने हेतु मेरिट के आधार पर निर्णय लिया गया है जिसको एमपीलैड्स निधि से केन्द्र, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु कोई सांसद अपनी एमपीलैड्स निधि से स्वीकृत कर सकता है जो निम्नानुसार हैः-

(i)	मिडिल स्तर तक के स्कूलों हेतु पुस्तकों की खरीद	-	1 लाख रु. तक
(ii)	हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों हेतु पुस्तकों की खरीद	-	2 लाख रु. तक
(iii)	कॉलेजों/अन्य तकनीकी संस्थानों/आईटीआई/ सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद	-	4 लाख रु. तक

उपर्युक्त के मद्देनजर, कोई सांसद अपनी एमपीलैड्स निधि से 7 लाख रु. तक की धनराशि प्रतिवर्ष अनुशंसित कर सकता है ।

इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

शुभेच्छु

मिनी

(मिनी प्रसन्ना कुमार)
उप निदेशक
फोनः 23361247

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स संबंधित राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स संबंधित लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित को ।
5. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर डालने हेतु ।